



उत्तर प्रदेश जल निगम

फैक्स : 0522.2231517
प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1452 / 2042-0023211/16

दिनांक : 27 / 10 / 2016

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम।
आगरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री छोटे लाल वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-फतेहाबाद में 200 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।
महोदय,

शासन के पत्र सं.- 1541/अड़तीस-5-2016-34सम/2016 दिनांक 27.09.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में, इस कार्यालय के पत्र सं.-380/2042-0023(शा०)/16 दिनांक 03.10.16 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फलैक्सी मद में, श्री छोटे लाल वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-फतेहाबाद में 200 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्रेषित मांग के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं.- 440/डब्लू-409(फलैक्सी)/2016 दिनांक 07.10.16 द्वारा एस०एल०एस०एस०सी० से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में फलैक्सी मद से हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 132.72 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फलैक्सी मद में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त धनराशि रू० 132.72 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-780/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 20.10.16 द्वारा क्षेत्र को निम्नानुसार अवमुक्त कर दी गई है।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	आगरा	132.72

कृपया उपरोक्त धनराशि संबंधित खण्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर० एम० त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ० प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-780/2313-0001/बजट /2016-17 दिनांक 20.10.16 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1)/अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)